न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी, जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री विवेक व्यास (आरएएस)

राजस्व विविध संख्याः– 8/2023

दर्ज दिनांकः– 6.4.2023

प्रार्थीयाः–

1. सुआ पत्नी शिवनाथसिंह जी, जाति–राजपुरोहित, निवासी–करणवा, तहसील–देसूरी।

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीः–

1. तहसीलदार (भूमिधारी) देसूरी, जिला–पाली।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति

1. प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार माली।
2. पैरोकार सरकार श्री शंकरलाल नायब तहसीलदार देसूरी अप्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– **दिनांक 27/3/2024**

प्रकरण हाजा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा ग्राम सरहद करणवा, पटवार हल्का कोटडी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नाडोल, तहसील–देसूरी, जिला पाली की सीमा क्षेत्र के खसरा संख्या 982/379 क्षेत्रफल 01.600 हैक्टर किस्म आरानी अव्वल लगाना 11.20/– रूपये की भूमि प्रार्थीया के खातेदारी हक अधिकार और आधिपत्य की विद्यमान है। प्रमाण में खाता संख्या 438 की वर्तमान जमाबंदी, आधार कार्ड पेश है।

यह है कि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि में जंगली जानवरों के द्वारा फसल को नुकसान करने का खतरा बना रहता है इसलिए प्रार्थीया द्वारा अपने खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि को सुधार कार्य के लिए चारों तरफ तारबंदी सुरक्षा दीवार इत्यादी बनाने के लिए पत्थरगढी करवाई जाना नितांत आवश्यक होने से प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया है।

27/3/2024

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी से निवेदन किया गया कि प्रार्थीया के खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान कराया जावे, लेकिन कोई फिल्ड बुक मुस्तकिल माठ नाप नहीं किया गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत खसरा संख्या 982/379 की सीमा पर पत्थरगढी करवाए जाने का पेश कर आदेश प्राप्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया के खातेदारी हक अधिकार और कब्जा कश्त की कृषि भमि मौजा गांव करणवा, पटवार हल्का कोटडी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नाडोल, तहसील-देसूरी, जिला-पाली की सीमा क्षेत्र के खसरा संख्या 982/379 की कृषि भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

हमने उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। मौजा सरहद करणवा, पटवार हल्का कोटडी, भू-अभिलेख निरीक्षक नाडोल, तहसील देसूरी की सीमा क्षेत्र के खसरा नंबर 982/379 क्षेत्रफल 01.600 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल लगान 11.20/- रुपये की भूमि प्रार्थी सुआ पत्नी शिवनाथ सिंह जाति-राजपुरोहित निवासी करणवा तहसील-देसूरी के स्वामित्व हक अधिकार की विद्यमान है।

-: आदेश :-

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी के स्वामित्व हक अधिकार की ग्राम करणवा के खसरा नंबर 982/379 क्षेत्रफल 01.600 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार देसूरी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम करणवा के खसरा नंबर 982/379 क्षेत्रफल 01.600 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि के पास पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुए बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे में दखलंदाजी किए पत्थरगढी की जावे। एवं उक्त आदेश की पालना रिपोर्ट एक माह में न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करावे। प्रार्थीया बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 500/- रुपये जमा करावे तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 500/- रुपये संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करे।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 27/3/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/3/2024
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner